रामनारायण पि० मूलचन्द

पटवारी रिपोर्ट खाता सं० 600 [illegible]

श्रीमान जी आपकी के पिता श्री नारायण पिता मूलचन्द की संख्या 162 पि० मू० 0.92 का नाम से दर्ज इकरार आधार जमाबन्दी में रामनारायण के स्थान पर नारायण, रामधन पि० मूलचन्द दर्ज हुआ। जो कि वर्तमान जमाबन्दी के खाता सं० 1115 कॉलम (1) में चला आ रहा है अतः श्रीमान जी के निर्देश के हेतु वर्तमान जमाबन्दी के आधार पर आपकी द्वारा प्रस्तुत प्रमाणों के अनुसार वर्तमान जमाबन्दी में नारायण पि० मूलचन्द, रामधन पि० मूलचन्द के स्थान पर रामनारायण पि० मूलचन्द किया जाना उचित होगा।

भू अभिलेख निरीक्षक की जाँच रिपोर्ट

श्रीमानजी,

भूअभिलेख में खाता सं० 162 पि० 0.92 में दर्ज नारायण के स्थान पर रामनारायण के नाम इन्द्राज किया जाना उचित है।

[illegible]

तहसीलदार की रिपोर्ट

रिपोर्ट पटवारी, भू० अ० निरी० अनुसार तथा नारायण का नाम वंशावली के आधार पर रामनारायण किया जाना उचित है।

तहसीलदार

2025
419

प्रभारी अधिकारी "ग्रामीण सेवा शिविर–2025"

क्रमांक / 115

दिनांक:- 19-9-25

आदेश

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार से अभिलेख में दुरूस्ती हेतु निवेदन किया गया है एवं इस दुरूस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू अभिलेख निरीक्षक की जाँच रिपोर्ट व तहसीलदार नसीराबाद की अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण मे ग्राम तिघरा तहसील नसीराबाद की जमाबंदी सम्वत 2069-72 के खाता संख्या 1115/369 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है।

क्र स	पूर्व इन्द्राज का विवरण			स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा
1.	नारायण पुत्र मूलचन्द हि० 1/6 नौरत पुत्र मूलचन्द हि० 1/6 रामधन पुत्र मूलचन्द हि० 1/6 रामधन पुत्र मूलचन्द हि० 1/6 समस्त जातिवाट [illegible] देवीलाल शेष जस का तस	2830	0.92	नौरत पुत्र मूलचन्द हि० 2 रामनारायण पुत्र मूलचन्द हि० 2 शेष जस का तस	2830	0.92

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:40:45 IST
Reason: SelfAttested

क्रमांक :- 4850-61 दिनांक :- 19-9-2025

प्रतिलिपि :- 1. तहसीलदार नसीराबाद को प्रारम्भार्थ।
2. आदेश पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद, जिला अजमेर